



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 12/2001-02

नित्यानन्द प्रधान @ नित्या प्रधान।

वनाम

धुर्वो चन्द्र प्रधान।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद नित्यानन्द प्रधान @ नित्या प्रधान, पिता- स्व० सुकतो प्रधान, निवासी ग्राम- पोकाम, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- जैतगढ़, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Suit for declaration of plaintiffs right title interest and confirmation of possession over the suit property described in schedule "A" में वर्णित भूमि मौजा- पोकाम, थाना संख्या- 480, थाना- कोल्हान के सर्वे खाता संख्या- 1, नया सर्वे प्लॉट संख्या- 253, कुल रकवा- 0.33 डिसमिल Delivery of possession of the suit property के लिए प्रतिवादी धुर्वो चन्द्र प्रधान, पिता- स्व० दिवाकर प्रधान, निवासी ग्राम- पोकाम, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- जैतगढ़, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय से कोई पैरवी नहीं करने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक- 94/न्या० दिनांक- 22.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर को दोनों पक्षों से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। जिसके उपरान्त अंचल से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 11.12.2021 को वादी पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र दाखिल कर जिक्र किया गया है कि प्रतिवादी धुर्वो चन्द्र प्रधान का दिनांक- 18.12.2018 को मृत्यु हो गया है एवं उनके मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र 1. नवीन प्रधान 2. श्रवण कुमार प्रधान एवं 3. गणेश प्रधान उत्तराधिकारी का नाम प्रतिस्थापन हेतु अनुरोध किया गया। प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत किया गया। पुनः सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 18.12.2021, 05.01.2022 एवं 08.01.2022 को वादी को अंतिम मौका अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया। परन्तु उक्त किसी भी तिथि पर वादी या उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। प्रतिवादी को नोटिस मिलने के बाद सभी तिथियों पर उपस्थिति दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।  18.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> 18.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p>	